‘महिलाएं डिजिटल तकनीक अपनाकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं’

अमृता हाट में डिजिटल मार्केटिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री, राजस्थान सरकार, दिया कुमारी जी ने शिरकत की।

- उप मुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने अमृता हाट की महिला उद्यिमयों को दिया डिजिटल मंत्र - डिजिटल ज्ञान से बनेगी आर्थिक उड़ान

जयपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशालय महिला अधिकारिता की ओर से जयपुर के जवाहर कला केन्द्र में चल रहे राज्य स्तरीय अमृता हाट में भाग ले रही स्वयं सहायता समूहों की महिला उद्यिमयों के लिए शनिवार को रंगायन सभागार में एक विशेष डिजिटल मार्केटिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री, राजस्थान सरकार, दिया कुमारी जी ने शिरकत की। उन्होंने वहां उपस्थित महिलाओं को डिजिटल तकनीक अपनाकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने तथा आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया।

उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि व्यापार में वित्तीय साक्षरता आवश्यक है, अतः महिलाओं को वित्तीय रूप से साक्षर होना भी बहुत जरूरी है। आज के समय में केवल उत्पाद बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही बाजार तक पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि पिछली बार राज्य स्तरीय अमृता हाट की विजिट के दौरान जब मुझे पता चला कि एसएचजी की महिलाएं अपने उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री बहुत कम करती हैं।

इसी को ध्यान में रखकर हमने महिला अधिकारिता निदेशालय के माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग के लिए यह वर्कशॉप आयोजित की है।

यह एक बहुत अच्छा माध्यम है। आप लोगों का ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है, वित्तीय साक्षरता जरूरी है। यह नॉलेज बहुत उपयोगी है और लोगों के बिजनेस को आगे बढ़ाने का यह आज बहुत आसान और अधिकतम लोगों तक पहुंचने वाला माध्यम है।

उन्होंने महिला उद्यिमयों की सराहना करते हुए कहा कि अब आप महिलाएं नौकरी मांगती नहीं बल्कि कई अन्य महिलाओं को नौकरी देती हो। यह महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है।

उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए मंत्र वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल के अनुसार कार्य करना है, ताकि समूचे विश्व में आपके उत्पादों की मांग बढ़े और आपका व्यापार बढ़े। इसी से आप उद्यमशील महिलाओं को ग्लोबल बाजार उपलब्ध हो सकता है। राजस्थान की कला, हस्तशिल्प और आपके द्वारा बनाए गए उत्पाद बेजोड़ हैं,बहुत शानदार हैं, जरूरत है उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया तक पहुंचाने की।

उप मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से राज्य में राज्य स्तर और जिला स्तर पर जो भी प्रदर्शनियां आयोजित होंगी, उनमें इस प्रकार की डिजिटल मार्केटिंग प्रशिक्षण वर्कशॉप और वित्तीय साक्षरता की प्रशिक्षण कार्यशाला अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएगी, ताकि इन महिलाओं के द्वारा तैयार उत्पाद को डिजिटल बाजार की उपयोगिता समझ में आ सके और ये अपने उत्पादों को ज्यादा बेच सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।

उन्होंने सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों, बैंकों और ई-कॉमर्स कंपनियों से भी आव्हान किया कि वे इन महिलाओं का उत्साहवर्धन करें और उनके व्यापार को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करें।

प्रशिक्षण सत्र के दौरान विशेषज्ञों द्वारा महिलाओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बिजनेस के उपयोग, उत्पादों की ऑनलाइन ब्रांडिंग, आकर्षक फोटो-वीडियो बनाना, डिजिटल प्रचार-प्रसार, ऑनलाइन पेमेंट, पैकेजिंग तथा ऑनलाइन ग्राहकों तक पहुँचने के तरीकों की विस्तृत जानकारी दी गई।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाकर उनके आर्थिक सशक्तीकरण, स्वरोजगार एवं उद्यिमता को बढ़ावा देना है।

सेवानिवृत्त एडीजी को डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों की ठगी करने वाला गिरफ्तार

- अब तक सात आरोपी गिरफ्तार
- टेलीग्राम चैनल के जरिए गिरोह से जुड़ा था आरोपी

आरोपी रविंद्र जितेंद्र प्रसाद सिंह

जयपुर। सेवानिवृत्त एडीजी को डिजिटल अरेस्ट कर 2 करोड़ 12 लाख 10 हजार रुपए की साइबर ठगी के मामले में जयपुर के सेंट्रल साइबर पुलिस थाने ने एक और आरोपी को महाराष्ट्र के ठाणे से गिरफ्तार किया है। आरोपी रविंद्र जितेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ अक्षय सिंह उर्फ देवा पेशे से जिम ट्रेनर है। पुलिस उसे ट्रांजिट वारंट पर जयपुर लेकर आई है। इस मामले में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम विजय कुमार सिंह के अनुसार जयपुर निवासी सेवानिवृत्त एडीजी (जीएसआई) ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 9 से 18 अगस्त 2026 के बीच आरोपियों ने फोन और व्हाट्सएप कॉल के जरिए खुद को पुलिस और अन्य सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताया। आरोपियों ने परिवादी को मनी लॉन्ड्रिंग और गंभीर आपराधिक मामलों में फंसाने तथा गिरफ्तारी वारंट जारी होने का भय दिखाया। उन्हें लगातार वीडियो कॉल पर रहने, किसी से संपर्क नहीं करने और अपनी लाइव लोकेशन चालू रखने के लिए मजबूर किया गया।डर और दबाव में आकर परिवादी ने 13 अगस्त को आईसीआईसीआई बैंक के खाते में 2 करोड़ 2 लाख रुपए और 18 अगस्त को यस बैंक के खाते में 10 लाख 10 हजार रुपए आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर कर दिए। इस तरह कुल 2 करोड़ 12 लाख 10 हजार रुपए की ठगी की गई।

पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, व्हाट्सऐप चैट और बैंक खातों के विवरण का विश्लेषण कर आरोपी की पहचान की। जांच में सामने आया कि रविंद्र टेलीग्राम पर संचालित ‘बीआरओ पे चैनल’ के माध्यम से साइबर अपराधियों के संपर्क में आया था।

दुपहिया वाहन चुराने वाले दो वाहन चोर गिरफ्तार

जयपुर। शिप्रापथ थाना पुलिस ने दुपहिया वाहन चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की तीन मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी नशे के आदी हैं और नशे की जरूरत तथा पैसों के लिए वाहन चोरी करते थे। उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण राजर्षि राज ने बताया कि शिप्रापथ थाना पुलिस ने दुपहिया वाहन चोरी करने वाले शेर सिंह (26) निवासी मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर और कमलजीत उर्फ कमल (33) निवासी रामड़ी जिला सवाई माधोपुर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर परिवादी की चोरी हुई मोटरसाइकिल के अलावा थाना क्षेत्र के अन्य मामलों से जुड़ी दो और मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। पुलिस को पूछताछ में वाहन चोरी की अन्य वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है।

एक सौ नवीन कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स का होगा शुभारंभ

- कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और यूथ महिला सीएलजी सदस्यों से सीधा संवाद भी करेंगे।

जयपुर । महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण की दिशा में राजस्थान सरकार एक और महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। प्रदेश की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस द्वारा रविवार को प्रातः 11 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जयपुर में 100 नवीन कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स का शुभारंभ किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम राज्य सरकार की वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में की गई घोषणा की क्रियान्विति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

इस पहल से महिला सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने, पुलिस की सक्रिय उपस्थिति बढ़ाने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा का विश्वास मजबूत करने के प्रयासों को नई गति मिलेगी।कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और यूथ महिला सीएलजी सदस्यों से सीधा संवाद भी करेंगे। इस संवाद के माध्यम से महिला सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों, मैदानी स्तर पर कार्य करने के अनुभवों तथा सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के विषयों पर चर्चा होगी।

कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, विधि मंत्री जोगाराम पटेल, महापौर सुनील कोठारी, सांसद मंजू शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) भास्कर ए. सावंत तथा पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी।

त्यौहारी सीजन मे वन-वे करने के विरोध में शुभाष चौक से बड़ी चोपड़ तक के व्यापारी वर्ग ने अपनी दुकानें बंद रैली निकाली।

उप मुख्यमंत्री ने शिशु संजीवनी का शुभारंभ किया

जयपुर । उप मुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने शनिवार को विद्याधर नगर की आंगनबाड़ी में कन्या पूजन कर कन्याओं को हलवा खिलाया और उन्हें उपहार भेंट किये। उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आंगनबाड़ी केंद्र का अवलोकन भी किया तथा शिशु संजीवनी पोषण आहार का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि विटामिन एवं खनिजों से समृद्ध पोषण से भरपूर यह पूरक आहार शिशु संजीवनी 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में दो बार दिया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस अवसर पर कहा कि नंद घर वेदांता के सहयोग से बच्चों को यह पूरक आहार उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक सशक्त राजस्थान की नींव स्वस्थ बच्चों और सशक्त बेटियों से ही रखी जा सकती है।

राज्य सरकार चाहती है कि छोटे बच्चों की सामयिक वृद्धि, समुचित विकास और उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित किया जाए। बाल पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल को बेहतर बनाने के लिए नंद घर की ओर से भी प्रयास किये जा रहे हैं।

निगम आयुक्त ने आदर्श नगर श्मशान भूमि से 16 सप्ताह में अतिक्रमण हटाने का दिया आश्वासन

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के आदर्श नगर स्थित श्मशान भूमि पर अतिक्रमण के मामले में दायर अवमानना याचिका को निगम आयुक्त ओम कसेरा के आश्वासन के बाद निस्तारित कर दिया है। अदालत ने कहा है कि यदि निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं होती है तो याचिकाकर्ता इस याचिका को पुनर्जीवित करा सकता है। जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश हुकुम सिंह की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान निगम आयुक्त ने अदालत में पेश होकर कहा कि गत 13 अक्टूबर को संबंधित जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। वहीं कुछ अतिक्रमियों ने अपना जवाब भी पेश किया है। इन जवाबों का परीक्षण का बाद निस्तारण किया जाएगा और 16 सप्ताह में कार्रवाई पूरी की जाएगी। निगम आयुक्त के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए खंडपीठ ने अवमानना याचिका का निस्तारण कर दिया है।

अवमानना याचिका में अधिवक्ता अखिल सिमलोट ने बताया की हाईकोर्ट ने 15 नवंबर, 2021 नगर निगम, हेरिटेज को आदेश दिए थे कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले अतिक्रमणों पर उचित कार्रवाई करे। इसके बावजूद भी मौके से अतिक्रमण नहीं हटाए गए हैं। पूर्व में सुनवाई के दौरान निगम की ओर से प्रारंभिक आपत्ति उठाते कहा गया कि अब हेरिटेज निगम का अस्तित्व नहीं है और नई संस्था को पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसे में अवमानना याचिका पर सुनवाई नहीं की जाए। इसके साथ ही मौके पर वन भूमि होने का हवाला देते हुए भी कार्रवाई से बचने की कोशिश की गई। वहीं बाद में वन विभाग के जवाब से जानकारी मिली की श्मशान भूमि को निगम को हैंडओवर किया जा चुका है और उसकी देखरेख और अतिक्रमण सहित अन्य कार्रवाई करने के लिए निगम ही अधिकृत है।

हाईकोर्ट ने एसोसिएट प्रोफेसर के पदस्थापन को लेकर आदेश दिए

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने दौसा जिले में कार्यरत एसोसिएट प्रोफेसर के तबादला आदेश पर अधिकरण की रोक के बावजूद उसका तबादला दूसरी जगह करने को गंभीरता से लिया है। इसके साथ ही अदालत ने तबादला आदेश को रद्द करते हुए उसे पूर्व की जगह कार्य करने को कहा है। जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश मीणा की याचिका पर दिए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि पदस्थापन को लेकर दिए आदेश की पालना नहीं की गई तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता दौसा के राजकीय कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत है। गत दस जुलाई को उसका तबादला टोंक की देवली की कॉलेज में कर दिया। जिसे याचिकाकर्ता ने अपना रिटायरमेंट नजदीक होने के आधार पर चुनौती दी थी। जिस पर अधिकरण ने सुनवाई करते हुए तबादला आदेश को स्टे कर दिया और राज्य सरकार को छूट दी की नियमानुसार उसका जिले के भीतर तबादला किया जा सकता है। याचिका में कहा गया कि कॉलेज शिक्षा विभाग ने अधिकरण के आदेश के बाद उसे दौसा में कार्यग्रहण नहीं कराया और 7 अक्टूबर को उसका तबादला बांदीकुई कर दिया।

पांच पंचायत समितियों में संवीक्षा के बाद 273 अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र वैध

जयपुर । पंचायती राज आम चुनाव-2026 के द्वितीय चरण के तहत जयपुर जिले की पांच पंचायत समितियों में पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए प्राप्त नामांकन पत्रों की संवीक्षा के बाद 273 अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने बताया कि द्वितीय चरण में शामिल पांच पंचायत समितियों के कुल 81 वार्डों के लिए 13 से 16 अक्टूबर तक 347 अभ्यर्थियों ने कुल 371 नामांकन पत्र दाखिल किए थे। संवीक्षा के बाद 93 नामांकन पत्र अस्वीकृत किए गए तथा 5 नामांकन पत्र डिस्कार्ड किए गए। इसके बाद वैध नामांकन पत्रों और वैध अभ्यर्थियों की संख्या 273-273 रही।

उन्होंने बताया कि अमरसर के 15 वार्डों के लिए प्राप्त 80 नामांकन पत्रों में से 22 अस्वीकृत और 2 डिस्कार्ड किए गए। संवीक्षा के बाद 56 अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र वैध पाए गए। आमेर के 21 वार्डों के लिए प्राप्त 97 नामांकन पत्रों में से 23 अस्वीकृत किए गए।

न्यायालय में,
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पटना
वैवाहिक वाद संख्या 45/2026
रोबिन राज .... आवेदक
बनाम्
श्रीमती उषा किरण .... विपक्षी
नोटिस बनाम्
श्रीमती उषा किरण, पिता श्री अभय कुमार, वर्त्तमान निवासी फ्लैट नं०-बी०-817, आर्शीवाद अपार्टमेंट, अंकित पथ, थाना संगानेर, सेक्टर-3, प्रताप नगर, जयपुर-302029, कार्यालय पता-रूपायन, एफ0-106, गारमेंट जोन, सीतापुर इन्डस्ट्रीयल एरिया, टोनक रोड, थाना मुहाना, थाना जयपुर-302022 चूँ वजरिये प्रकाशन नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि आज तक आपके विरूद्ध इस न्यायालय में वैवाहिक वाद लाया है जिसमें आपके उपस्थिति हेतु नजारत व डाक के माध्यम से सम्मन निर्गत किया जा चुका है। इसके बावजूद आप न्यायालय में आज तक उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः इस पेपर प्रकाशन नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 26.11.2026 को 10:30 बजे न्यायालय में उपस्थित होकर खुद या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखें अन्यथा आपके विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किया जायेगा। ताकिद जाने। आज दिनांक 15.10.2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय के मोहर से जारी किया जाता है।
मुहर
प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय, पटना

नम्बर मिलाइए
8890333139
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

जेल में मोबाइल और तंबाकू का पैकेट फेंकने वाला गिरफ्तार

जयपुर। लाल कोठी थाना इलाके में स्थित जयपुर सेंट्रल जेल के वार्ड नंबर 10 में शनिवार दोपहर मोबाइल और तंबाकू का पैकेट फेंकने का मामला सामने आया। जेल की निगरानी में तैनात सिविल ड्रेस के प्रहरियों ने घेराबंदी कर एक युवक को पकड़ लिया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। जेल प्रशासन ने आरोपी को लाल कोठी थाना पुलिस के हवाले कर शिकायत दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार शनिवार दोपहर करीब एक बजे जेल प्रहरी जसवंत, निरंजन और राजेन्द्र जेल की पिछली सीमा के पास कसाई मोहल्ले में निगरानी कर रहे थे। इसी दौरान बाइक पर आए दो युवकों ने जेल के वार्ड नंबर 10 की दीवार के ऊपर से मोबाइल और तंबाकू का पैकेट फेंक दिया। निषिद्ध सामग्री फेंकते देखकर प्रहरियों ने दोनों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की।प्रहरियों ने बाइक चला रहे शादाब पुत्र अयाज अहमद को पकड़ लिया, जबकि पीछे बैठा उसका साथी सोहेल उर्फ कालू पुत्र मोहम्मद शकील खान मौके से भाग निकला।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के बयान के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन कर पुतले फूंके

- कांग्रेस ने इसे देश के वीर सैनिकों, शहीदों और आतंकवाद के कारण अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों का अपमान बताया

कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का पुतला फूंका और बयान के प्रति नाराजगी जताई।

जयपुर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के कथित विवादित बयान के विरोध में शनिवार को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आव्हान पर प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन किए गए। जयपुर सहित राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर जिला कांग्रेस कमेटियों, अग्रिम संगठनों तथा विभिन्न विभागों और प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का पुतला फूंका और बयान के प्रति नाराजगी जताई।

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं मीडिया चेयरपर्सन स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बयान पर कड़ा रोष व्यक्त करते हुए कहा कि पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देता रहा है। इसके कारण देश के अनेक निर्दोष नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ऐसे संवेदनशील विषय पर दिया गया बयान देश के सैनिकों, शहीदों और आतंकवाद से प्रभावित परिवारों की भावनाओं को आहत करने वाला है।

चतुर्वेदी ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए 40 भारतीय जवानों और पहलगाम में आतंकवादियों के हमले में मारे गए 26 निर्दोष नागरिकों का उल्लेख करते हुए कहा कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी लंबे समय से देश में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का बयान पाकिस्तान के पक्ष में खड़े होने जैसा है। कांग्रेस ने इसे देश के वीर सैनिकों, शहीदों और आतंकवाद के कारण अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों का अपमान बताया। कांग्रेस के आव्हान पर आयोजित प्रदर्शनों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतले फूंके। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सैनिकों का बलिदान और शहीदों का सम्मान देश की अस्मिता से जुड़ा विषय है। पार्टी ने बयान पर विरोध जताते हुए प्रदेशभर में प्रदर्शन के माध्यम से अपना रोष दर्ज कराया।

महा अष्टमी-नवमी की पूजा 19 अक्टूबर कोः 20 को मनेगा विजयादशमी पर्व

जयपुर। शारदीय नवरात्र में इस बार महा अष्टमी और महानवमी की पूजा 19 अक्टूबर को एक ही दिन होगी। अष्टमी तिथि सुबह 10:51 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि शुरू होगी। तिथियों के इस संयोग के चलते श्रद्धालु एक ही दिन मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री की आराधना करेंगे। इसी दिन कन्या पूजन, हवन और नवरात्र के अनुष्ठानों की पूर्णाहुति होगी। नौ दिन तक व्रत रखने वाले श्रद्धालु पूजा-अर्चना, कन्या पूजन और हवन के बाद व्रत का पारण करेंगे।

पंडित राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि महानवमी पर दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के साथ हवन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। अष्टमी और नवमी के संधिकाल में संधि पूजा का विशेष महत्व है।

खोया पाया
I sabina franklin have lost my “certificate of handing over “ of house no 73/162A Mansarovar jaipur Anyone find it contact - 9460556744

NAME CHANGE
I, Anil Singh Gurjar, son of Shri Gopal Singh Gurjar, resident of Badi Bazar, Hindaun City, Karauli, Rajasthan-322230, hereby declare that I have changed my name from Anil Singh to Anil Singh Gurjar. Henceforth, I shall be known as Anil Singh Gurjar for all purposes.

आम सूचना
मेरे अभिभाष्य श्री दिलीप कुमार गुरनानी पुत्र श्री शंकर दास गुरनानी एक दुकान जो कि मकान नम्बर 2385, नाहरगढ रोड, जयपुर में ग्राउण्ड फ्लोर पर उत्तर-पूर्व कॉर्नर में स्थित है, को श्री दुर्गेश जांगिड पुत्र श्री गौरी शंकर शर्मा से क्रय/ खरीद कर रहे हैं, जिससे किसी को भी कोई आपत्ति हो तो वह सात दिवस में आपत्ति दर्ज करवाये।
(एडवोकेट) जेठानन्द
9828016533, 9414870846

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिये सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1
शाहपुरा जिला जयपुर
सुवालाल मीणा विरूद्ध हरदयाल सिंह वगै.
दावा बाबत निरस्त घोषित करने विक्रय पत्र
वाद सं. 31/2026 सन्
बनाम ममता शर्मा पुत्री सीताराम पत्नी अरूण कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण स्थान प्लाट नं.65 नरेन्द्र न्यू सांगानेर रोड सोडाला जयपुर
वादी ने आपके विरुद्ध नकल पेश के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 02 माह 11 सन् 2026 को दिन में 10 ए.एम. बजे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो और जो इस प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित सभी वारदान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आपस उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करे, जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखि/ सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या सुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रुप मे निर्भर करते है तो आप ऐसे दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ठ करें।
आपको सूचित किया जाता है यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होगे तो प्रार्थना पत्र की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा।
यह प्रार्थना पत्र ता.16 माह 10 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
आज्ञा से-रीडर ग्रेड-प्रथम
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
मोहर अदालत
सं.-1 शाहपुरा (जयपुर)

विवाधकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
नाम न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि. उत्तर-जयपुर महानगर द्वितीय
मदन लाल विरूद्ध विजय औझा व अन्य
वाद बाबत ....
वाद संख्या 368/2022 सन्
नाम विजय औझा अध्यक्ष दण्ड गृह निर्माण सहकारी समिति लि. स्थान 15-ए, ग्रीन पार्क, दादी का फाटक झोटवाडा जिला जयपुर राजस्थान
.... ने आपके विरूद्ध ..... के लिये वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 17 माह 11 सन् 2026 को दिन में 10.30 बजें दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचनं दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वंय या किसी ऐसी प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो ओर जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपकों यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें ओर उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जें में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल / सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। ओर यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावें के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपबद्व की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय मै उपंसजात नहीं होगे तो वाद की सुनवाई ओर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद दिनांक 25 माह 08 सन् 26 को मेरे हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
अपर सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहर अदालत
जयपुर महानगर द्वितीय

विवाधकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि. उत्तर-जयपुर महानगर द्वितीय जयपुर
मदन लाल विरूद्ध विजय औझा व अन्य
वाद बाबत ....
वाद संख्या 368/2022 सन्
नाम श्रीमती सीमा कंवर पत्नी श्री गजेन्द्र सिंह जाति... स्थान मौहल्ला धामौर झुंझुनूं (राज.)
.... ने आपके विरूद्ध ..... के लिये वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 17 माह 11 सन् 2026 को दिन में 10.30 बजें दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचनं दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वंय या किसी ऐसी प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो ओर जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपकों यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें ओर उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जें में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल / सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। ओर यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावें के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपबद्व की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय मै उपंसजात नहीं होगे तो वाद की सुनवाई ओर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद दिनांक 25 माह 08 सन् 26 को मेरे हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
अपर सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहर अदालत
जयपुर महानगर द्वितीय

विवाधकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि. उत्तर-जयपुर महानगर द्वितीय जयपुर
मदन लाल विरूद्ध विजय औझा व अन्य
वाद बाबत ....
वाद संख्या 368/2022 सन्
नाम राजेन्द्र कुमार विजय पुत्र स्व.श्री राधेश्याम विजय पद मंत्री दण्ड गृह निर्माण सहकारी समिति लि. स्थान प्लाट नं. 2 बाल विहार कॉलोनी कालवाड रोड झोटवाडा जयपुर (राज.)
.... ने आपके विरूद्ध ..... के लिये वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 17 माह 11 सन् 2026 को दिन में 10.30 बजें दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचनं दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वंय या किसी ऐसी प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो ओर जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपकों यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें ओर उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जें में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल / सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। ओर यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावें के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपबद्व की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय मै उपंसजात नहीं होगे तो वाद की सुनवाई ओर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद दिनांक 25 माह 08 सन् 26 को मेरे हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
अपर सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहर अदालत
जयपुर महानगर द्वितीय